रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18072025-264792
CG-DL-E-18072025-264792

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 435]	नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 18, 2025/आषाढ़ 27, 1947
No. 435]	NEW DELHI, FRIDAY, JULY 18, 2025/ASHADHA 27, 1947

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 जुलाई, 2025

सा.का.नि. 478(अ).— केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल अधिनियम, 1949 (1949 का 66) की धारा 18 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, गृह मंत्रालय में सहायक कमांडेंट (मैट्रन), पैरा-मेडिकल संवर्ग के पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.-** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मंत्रालय, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, सहायक कमांडेंट (मैट्रन), समूह 'क' पद, भर्ती नियम, 2025 है।

   (2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषाएँ.-** (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो,-

   (क) "महानिदेशक" से केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के महानिदेशक अभिप्रेत हैं;

   (ख) "शेप-I" से तात्पर्य केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के स्थायी आदेश संख्या 04/2008 दिनांक 15 दिसंबर, 2008 और इस संबंध में महानिदेशालय, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल द्वारा समय-समय पर जारी किए गए संशोधनों के अंतर्गत निर्दिष्ट चिकित्सा श्रेणी से है।

(2) इसमें प्रयुक्त शब्द और अभिव्यक्तियाँ, जो परिभाषित नहीं हैं, किन्तु केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल अधिनियम, 1949 और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल नियमावली, 1955 में परिभाषित हैं, उनके वही अर्थ होंगे जो अधिनियम और नियमों में क्रमशः दिए गए हैं।

3. **पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.-** पद की संख्या, उनका वर्गीकरण और इससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएँ, आदि-** भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएँ तथा उक्त पद से संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. **निरर्हता/अयोग्ता.-** वह व्यक्ति,-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए, किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है, और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. **पदों का भरा जाना(मेटीनेंस).-** प्रत्येक रिक्त पद जो भरे नहीं गए हैं और उसके बाद उत्पन्न होने वाली प्रत्येक रिक्ति, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट उपबंधों और केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार भरी जाएंगी।

7. **वरिष्ठता.-** वरिष्ठता, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल नियमावली, 1955 और केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी सामान्य अनुदेशों के अनुसार विनियमित की जाएगी।

8. **गैर भारतीयों की निरर्हता.-** किसी भी ऐसे व्यक्ति को, जो भारत का नागरिक नहीं है, इन नियमों के अधीन लिखित में केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नियुक्त या नियोजित नहीं किया जाएगा :

परन्तु इस नियम में विहित कोई भी बात नेपाल या भूटान के किसी नागरिक को बल में नियुक्ति या नियोजित करने से वर्जित नहीं कर सकेगी।

9. **अधिवर्षिता.-** (1) इन नियमों के अधीन नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति उस माह के अंतिम दिन की अपराह्न में सेवा से सेवानिवृत्त होगा जिसमें वह साठ वर्ष की आयु प्राप्त करता/करती है या जैसा कि केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया गया है:

परन्तु जिस व्यक्ति की जन्म तारीख महीने की पहली तारीख को है, वह 60 वर्ष या अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने के पूर्ववर्ती माह के अंतिम दिन के अपराह्न में सेवा से सेवानिवृत्त होगा।

(2) उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्ति की विहित आयु के पश्चात किसी भी व्यक्ति की सेवा विस्तारित नहीं होगी।

10. **सेवा का दायित्व.-** इन नियमों के अधीन उक्त पद पर नियुक्त कोई भी व्यक्ति भारत में या विदेश में कहीं भी सेवा करने के लिए उत्तरदायी होगा।

11. **निर्वचन -** यदि इन नियमों की निर्वचन से संबंधित कोई प्रश्न उठता है तो उसका निर्णय केन्द्रीय सरकार द्वारा किया जाएगा।

12. **शिथिल करने की शक्ति.-** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लिखित में दर्ज करके तथा संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के संबंध में शिथिल कर सकेगी।

13. **व्यावृति -** इन नियमों की कोई बात अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए इस संबंध में समय-समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी आदेशों के अनुसार अपेक्षित आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य छूट पर प्रभाव नहीं डालेगी।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद या गैर-चयन पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
सहायक कमांडेंट (मैट्रन) ।	18 * (2025) (*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है) ।	सामान्य केंद्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अननुसचिवीय, योद्धक।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-10 (56100-177500 रुपये)।	चयन।

सीधी भर्ती के लिए आयु-सीमा।	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षिक एवं अन्य योग्यताएं।	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक योग्यताएं प्रोन्नत व्यक्तियों के मामले में लागू होगी।	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो।
(6)	(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	दो वर्ष

भर्ती की पद्धति, चाहे सीधी भर्ती द्वारा हो या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत।	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, वे ग्रेड जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।
(10)	(11)
प्रोन्नति द्वारा।	**प्रोन्नति:** (a) वेतन मैट्रिक्स में स्तर 8 (47600-151100 रुपये) में के एसे स्तर-8 केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के सूबेदार मेजर (सिस्टर-इन-चार्ज) में से, जिन्होंने उस ग्रेड में चार वर्ष की नियमित सेवा की हो और जिन्होंने केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित पूर्व-प्ोन्नति पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा किया हो; और (b) अभ्यर्थी चिकित्सा श्रेणी SHAPE-1 से होंगे। **टिप्पणी.-** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के बारे में भी विचार किया जाएगा, परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष, इनमें से जो भी कम हो, से कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(12)	(13)
समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1. महानिदेशक या अपर महानिदेशक, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल - अध्यक्ष; 2. महानिरीक्षक-सह-निदेशक (चिकित्सा) केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल - सदस्य; 3. उप महानिरीक्षक (चिकित्सा), केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल - सदस्य; 4. निदेशक या उप सचिव, गृह मंत्रालय - सदस्य। **समूह 'क' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:-** 1. महानिदेशक या अपर महानिदेशक, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल - अध्यक्ष; 2. महानिरीक्षक-सह-निदेशक (चिकित्सा) केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल - सदस्य; 3. उप महानिरीक्षक (चिकित्सा), केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल - सदस्य; 4. निदेशक या उप सचिव, गृह मंत्रालय - सदस्य।	लागू नहीं होता।

[फा. सं. आर.नौ.1/2025-संगठन (सहा.कमा.(मैट्रन)]

अनिल कुमार प्रधान, उप सचिव (पी-II)

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th July, 2025

G.S.R. 478(E).— In exercise of the powers conferred by section 18 of the Central Reserve Police Force Act, 1949 (66 of 1949), the Central Government hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Assistant Commandant (Matron), Para-Medical Cadre, in the Central Reserve Police Force, Ministry of Home Affairs, namely:-

1. **Short title and commencement.-** (1) These rules may be called the Ministry of Home Affairs, Central Reserve Police Force, Assistant Commandant (Matron), Group 'A' Post, Recruitment Rules, 2025.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definitions.-** (1) In these rules, unless the context otherwise requires,-

   (a) "Director-General" means the Director General, Central Reserve Police Force;

(b) "SHAPE-I" refers to the medical category as specified under the Central Reserve Police Force Standing Order No. 04 of 2008 dated the 15th December, 2008, and subsequent amendments issued in this regard by the Directorate General, Central Reserve Police Force from time to time.

(2) Words and expressions used herein and not defined but defined in the Central Reserve Police Force Act, 1949, and the Central Reserve Police Force Rules, 1955 shall have the meanings respectively assigned to them in the Act and the rules.

3. **Number of post, classification and level in pay matrix.-** The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

4. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.-** The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

5. **Disqualification.-** No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Maintenance.-** Every post remained unfilled and every vacancy that may arise thereafter shall be filled in accordance with the provisions as specified in the said Schedule and the procedure as may be specified by the Central Government from time to time.

7. **Seniority.-** Seniority shall be regulated in accordance with the Central Reserve Police Force Rules, 1955, and general instructions issued by the Central Government from time to time.

8. **Ineligibility of non-citizens of India.-** No person, who is not a citizen of India shall, except with the prior permission of the Central Government in writing, be appointed under these rules:

Provided that nothing contained in this rule shall debar the appointment or employment of a subject of Nepal or Bhutan in the Force.

9. **Superannuation.-** (1) Every person appointed under these rules shall retire from service on the afternoon of the last day of the month in which he or she attains the age of sixty years or as prescribed by the Central Government from time to time:

Provided that the person whose date of birth is on the first day of a month, shall retire from service in the afternoon of the last day of the preceding month on attaining the age of superannuation.

(2) No person shall be granted extension in service beyond the prescribed age of retirement on superannuation as specified in sub-rule(1).

10. **Liability of service.-** Any person, appointed to the said post under these rules shall be liable to serve anywhere in India or abroad.

11. **Interpretation.-** If any question relating to the interpretation of these rules arises, it shall be decided by the Central Government.

12. **Power to relax.-** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation of the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

13. **Saving.-** Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in pay matrix	Whether selection post or non-selection post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Assistant Commandant (Matron).	18 * (2025) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group ‘A’, Gazetted, Non – Ministerial, Combatised.	Level - 10 in the pay matrix (Rs. 56100-177500).	Selection.

Age-limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.
(6)	(7)	(8)	(9)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Two years

Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or by deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made.
(10)	(11)
By promotion.	**Promotion:** (a) From amongst Subedar Major (Sister-in-Charge) of the Central Reserve Police Force in level - 8 in the pay matrix (Rs. 47600- 151100) with four years regular service in the grade and having successfully completed pre-promotional course as prescribed by the Central Government; and (b) the candidates shall be in medical category SHAPE-1. **Note.-** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:- 1. Director-General or Additional Director - General, Central Reserve Police Force - Chairman; 2. Inspector - General-cum-Director (Medical) Central Reserve Police Force - Member; 3. Deputy Inspector - General (Medical), Central Reserve Police Force - Member; 4. Director or Deputy Secretary, Ministry of Home Affairs - Member. **Group 'A' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:-** 1. Director-General or Additional Director - General, Central Reserve Police Force - Chairman; 2. Inspector - General-cum-Director (Medical) Central Reserve Police Force - Member; 3. Deputy Inspector - General (Medical), Central Reserve Police Force - Member; 4. Director or Deputy Secretary, Ministry of Home Affairs - Member.	Not applicable.

[F. No. R.IX-1/2025-Org (AC Matron)]

ANIL KUMAR PRADHAN, Dy. Secy. (P-II).

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

KUMER CHAND MEENA Digitally signed by KUMER CHAND MEENA Date: 2025.07.18 18:49:46 +05'30'